

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo\_bageshwar@rediffmail.com

दूरभाष एवं फ़ैक्स नं०: 05963-220249 वन मित्र काल सेटर- 9208008000

पत्राक 2057 / 12-1-2 बागेश्वर दिनांक : 30/11/2023  
सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,  
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

**विषय -** जनपद बागेश्वर में स्याली से इड़िया-मनाखेत मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-47027/2020)

**सन्दर्भ-** अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलानी, देहरादून का पत्राक 379/12-1 दिनांक 24 अगस्त 2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है, कि उक्त-प्रस्ताव में जो आपत्तियां लगायी गयी है प्रस्तावक विभाग द्वारा बिन्दुवार निराकरण कर प्रस्ताव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु सं० 1.	The villages 'Syali' and Ediya are already connected with the existing routes. Only the villages Manakhet is required to be connected. Connectivity to the village Manakhet can be easily provided through the private lands to the nearest existing route. The proposal involves felling of 491 trees which is not justifiable to connect villages which are already connected only the village' Manakhet with the nearest existing road.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम स्याली एवं इड़िया के कुछ ग्रामीण प्रस्तावित संरक्षण से जुड़े हैं, परन्तु अधिकांश आवादी नहीं जुड़ी है। जिस हेतु ग्रामीणों/जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव के आधार पर ही राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति स्याली से इड़िया-मनाखेत नाम से ही जारी की गई है। उक्त प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार ही ग्राम मनाखेत को जोड़ने हेतु संरक्षण को ग्राम स्याली-इड़िया होते हुए प्रस्तावित किया गया है। ग्राम मनाखेत को जोड़ने हेतु अन्य विकल्पों पर विचार किया गया परन्तु उचित मानकों के अनुसार ग्रेड प्राप्त न होने के कारण एवं ग्रामवासियों की असहमति के कारण प्रस्तावित संरक्षण के अनुसार ही वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया गया है, जिसमें मात्र 1.763 हे० वनभूमि ही प्रभावित हो रही है तथा 0 से 10 व्यास के एवं नाप भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों को सम्मिलित करते हुए मात्र 491 चीड़ के वृक्ष ही प्रभावित हो रहे हैं।
2.	The State Govt.is requested to revise the muck disposal plan as 29583 cu. M muck is proposed to be disposed of while the carrying capacity of the muck disposal yards is mentioned to be only 1026 cu.m.	मलुवा निस्तारण योजना संशोधित कर 4 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
3.	State Govt. is requested to revise their norms of minimum road width requirements provide connectivity to such isolated villages through forest area. It will help in maintaining biological richness	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित संरक्षण में मोटर मार्ग की चौड़ाई 9मी० ली गई है। विभाग के मानकों के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण के दौरान मात्र 5.95 मी० चौड़ाई में ही मोटर मार्ग का निर्माण किया जायेगा।

संलग्न- 04 प्रति में।

भवदीय,

(उमेश चन्द्र तिवाड़ी)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
बागेश्वर वन प्रभाग  
बागेश्वर